



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान - मल्कीर बनाम सरदार

किस्म मुकदमा :- 88,209 PTA व 136 LPA प्रकरण सं. :- 151/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04/09/25	<p>उपरोक्त पक्ष 347 श्रीमान जिला क्लर्क एवं श्रीगंगानगर से वाकी द्वारा प्रस्तुत प्राप्त प्राप्त हुआ है शाह हो मां राजेश्वर मण्डल एवं इस न्यायालय के निर्दिष्ट किंगड 05/05/25 के विरुद्ध निवासी सं. त 812/2025 प्रस्तुत करें पर यह पक्षादली चली है अतः उक्त पक्षादली मां मण्डल को प्रेषित की गई है नंबर से फस लो</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) </p>	<p style="text-align: right;">  2023/386 </p>



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक/राजस्व/ वाड / 151 / 2023 / 04.9.25 / 5308

दिनांक : 04.09.2025

प्रेषित :-

माननीय निबन्धक महोदय

राजस्व मंडल राजस्थान
उज्जैन

विषय: प्रकरण संख्या 151/23 अनवान महारा
बनाम अन्तर्गत धारा 88-209RTA 2126LRA
निर्णय दिनांक 5.5.25 भिजवाने हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्रांक T.A/मिग/2025/7812/गंगानगर/17.12.2025/12249
दिनांक 20.8.25

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा चाही गई पत्रावली संख्या 151/23

अनवान महारा बनाम महारा
अन्तर्गत धारा 88-209RTA 2136LRA निर्णय दिनांक 5-5-25

कुल पृष्ठ (23) इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़